

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15(17)2023 / गोप्र / प्रमुखस /

दिनांक :

निमित्त

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक/कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त/ट्री राजस्थान, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक आर.एफ.बी.पी. जयपुर/निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर।
3. अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन.टी.एफ.पी./अरावली वृक्षारोपण परियोजना राजस्थान, जयपुर।
4. उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जयपुर/(वन्यजीव) जोधपुर/(वन्यजीव) उदयपुर।
7. मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर (सवाईमाधोपुर)/सरिस्का अलवर)/मुकन्दरा (कोटा)।
8. मुख्य वन संरक्षक वनवर्धन, जयपुर/आर.वी.पी. कोटा/एफ.पी.आर.पी, जयपुर।
9. मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर/निदेशक परिचालन राजस्थान वन विकास निगम लिमिटेड जयपुर।

विषय :- वाहन चालक की अंतरिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2023 के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का आदेश क्रमांक एफ 15 (17)2023 / गोप्र / प्रमुखस / 1750-1860 / सी दिनांक 06.04.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार वाहन चालक की अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया है। उक्त वरिष्ठता सूची का अवलोकन कर क्रम संख्या 1 से 4 पर अंकित कार्यालय स्वयं के कार्यालय की एवं क्रम संख्या 5 से 9 पर अंकित कार्यालय अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों (उप वन संरक्षक/वन बन्दोबस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी) की संकलित सूचनायें/प्रमाण-पत्र प्रेषित करें :-

1. प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के कार्यक्षेत्र अधीन कार्यालयों में वाहन चालक (दिनांक 01.04.2023 को कार्यरत) उपरोक्त अन्तरिम सूची में सम्मिलित कर लिये गये हैं एवं उनके संबंध में उपरोक्त सूची में अंकित प्रविष्टियां सही हैं एवं उनका विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	नाम कार्यालय	वरिष्ठता क्रमांक	नाम वाहन चालक	पिता का नाम	वर्ग (एस.सी./एस.टी.)
---------	--------------	------------------	---------------	-------------	----------------------

2. यदि उपरोक्त अन्तरिम वरिष्ठता सूची में वाहन चालक (दिनांक 01.04.2023 को कार्यरत) के नाम सम्मिलित नहीं किये गये हैं तो उनका विवरण अन्तरिम वरिष्ठता सूची के प्रपत्र में प्रेषित करें।
3. यदि उपरोक्त अन्तरिम वरिष्ठता सूची में कोई संशोधन की आवश्यकता हो तो अन्तरिम वरिष्ठता सूची में दिये गये निर्देशानुसार मय दस्तावेज उनका विवरण अन्तरिम वरिष्ठता सूची के प्रपत्र में प्रेषित करें।
4. यदि किसी वाहन चालक के द्वारा सेवा संबंधी कोई वाद किसी न्यायालय में दायर कर रखा है तो उसका नवीनतम विवरण/स्थिति मय दस्तावेज प्रेषित करें।
5. यदि किसी वाहन चालक के द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है तो अभ्यावेदन को नियंत्रण अधिकारी मय टिप्पणी समस्त दस्तावेजों के इस कार्यालय को प्रेषित करें।

Signature valid

Digitally signed by Arjit Banerjee
Designation: Principal Chief
Conservator Of Forest
Date: 2023.04.13 13:28:34 IST
Reason: Approved



नियन्त्रण अधिकारी कार्मिक विभाग के पत्रांक प.14(36)कार्मिक/क-2/2007 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 01.12.2021 के निर्देशानुसार सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र अपने अधीनस्थ कार्यरत पात्र दिव्यांग कार्मिक वाहन चालक से प्राप्त कर लेवे। दिव्यांगजन श्रेणी का लाभ प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिकृत होगा।

उपरोक्त सूचनार्यें दिनांक 24.04.2023 तक इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
नोट :- 1. समस्त कार्यालय स्पष्ट, पठनीय पूर्ण वांछित सूचना परीक्षण करने के उपरांत ही इस कार्यालय

को प्रेषित करें। अधीनस्थ कार्यालयों के अनावश्यक पत्रों को संलग्न नहीं करें।

2. सूचनाएं राजकीय ई-मेल आई.डी dcfnz.estt.forest@rajasthan.gov.in पर भिजवाया

जाना सुनिश्चित करें। तत्पश्चात डाक द्वारा उक्त सूचना प्रेषित नहीं करें।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 15(17)2023/गोप्र/प्रमुवस/2908-2992/c दिनांक : 13.04.2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त उप वन संरक्षक/कार्य आयोजना अधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी/भू-संरक्षण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उपर दिये गये निर्देशों के अनुसार सूचना अपने नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करें। पत्र की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित नहीं करें।
2. उप वन संरक्षक,सूचना एवं प्रौद्योगिकी को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Arjit Banerjee
Designation : Principal Chief
Conservator of Forest
Date: 2023.04.13 13:28:34 IST
Reason: Approved